प्रभात खबर
जमशेदपुर, रविवार 28.07.2019

एक्सएलआरआइ. साइबर क्राइम पर कानूनी जागरुकता कार्यशाला में बोले हाइकोर्ट के जज

डिजिटल साक्षरता ही साइबर क्राइम से बचने का उपाय

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में हुआ आयोजन

लाइफ रिपोर्टर@जमशेदपुर

साइबर क्राइम से बचने के लिए सबसे पहले डिजिटल साक्षर होना जरूरी है. बिना इसके साइबर अपराधियों से बचना असंभव है. केवल एक दिन जागरूकता कार्यक्रम चलाने से इन अपराधियों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है. क्योंकि साइबर अपराधियों के पास कई उपाय हैं, जो आसानी से हमें ठगी का शिकार बना सकते हैं. उक्त बातें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित साइबर क्राइम कानूनी जागरूकता कार्यशाला के दौरान बतौर मुख्य अतिथि झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के चेयरमैन एससी मिश्रा ने कही. वे शनिवार को एक्सएलआरआइ के प्रेक्षागृह में कानूनी जागरूकता कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

जमशेदपुर में बढ़ा है क्राइम

श्री मिश्रा ने बताया कि हाल के दिनों में साइबर क्राइम का डाटा जमशेदपुर में काफी बढ़ा है. 292 केस दर्ज हुए है. लेकिन पुलिस द्वारा अब तक एक भी ट्रायल नहीं हो रहा है. पुलिस भी अपनी ओर से कई प्रयास कर रही है. लेकिन उसके बाद भी लोग ठगी का शिकार हो रहे है. ऐसे में एक मात्र उपाय जागरूकता ही है.

कोर्ट को भी होना होगा संवेदनशील

श्री मिश्रा ने कहा कि साइबर क्राइम को लेकर कोर्ट को भी संवेदनशील होना होगा. उन्होंने बताया कि अगर साइबर अपराधी एटीएम केंद्र में प्रवेश कर उसमें मशीन और कैमरा लगाते हैं तो इसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है. बैंक को इस मामले में और जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने बताया कि डाटा लीक करने के मामले में अब फेसबुक का नाम भी आ गया है.

पुलिस महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने स्लाइड शो प्रस्तुत कर साइबर क्राइम की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बाहर के देशों में होने वाली साइबर क्राइम का तरीका और उसके अनुसंधान की जानकारी दी. जमशेदपुर के एसएसपी अनूप बिरथरे ने भी स्लाइड शो के माध्यम से जिले में साइबर क्राइम का आंकड़ा सभी के समक्ष रखा. एसएसपी बिरथरे ने वर्तमान में होने वाले मामलों को ही दर्शाया, जिससे आम जनता परेशान हैं. साथ ही अनुसंधान के दौरान आने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया.

इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ दीप जला कर किया गया. मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के न्यायधीश अनंत विजय सिंह, पुलिस महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह, एजीएम आरबीआई रांची के राजेश रंजन तिवारी, प्रधान जिला जज मनोज प्रसाद,उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला, एसएसपी अनूप बिरथरे मौजूद थे. कार्यक्रम के प्रारंभ होने के पूर्व सभी का स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया गया. मौके पर पूर्वी सिंहभूम,चाईबासा और सरायकेला के पुलिस पदाधिकारी,जज व अधिवक्ता मौजूद थे. धन्यवाद ज्ञापन प्रधान जिला जज मनोज प्रसाद ने किया.

आज सभी के पास स्मॉर्टफोन है. साइबर क्राइम के कई मामले आ रहे हैं. पुलिस को व अनुसंधानकर्ता को स्मॉर्ट तरीके से जांच करना होगा. जांच के लिए हाइटेक साइबर फोरेंसिक लैब खोलने की जरूरत है. डिजिटल लिटरेसी जागरुकता कार्यक्रम के साथ मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना होगा.

न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह, झारखंड हाईकोर्ट.

साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए बैंक को भी पूरा रोल प्ले करना होगा. साथ ही जांच करने की प्रक्रिया भी हाइटेक करनी होगी. ताकि जांच के दौरान निष्कर्ष निकले और अपराधियों को जेल भेजा जा सके.

न्यायाधीश अनंत विजय सिंह, झारखंड हाईकोर्ट.

आम लोगों के साथ कॉरपोरेट हाउस भी साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं. साइबर क्राइम बिना इलेक्ट्रॉनिक गजट के नहीं हो सकती है. ऐसे में स्टेट लेवल पर साइबर सेल होना चाहिए. साइबर क्राइम के ग्राउंड रियलिटी की जानकारी होनी चाहिए. तब अनुसंधान में सफलता मिल पायेगी.

डीएन उपाध्याय, लोकायुक्त झारखंड

नकली वेब पेज और नकली विज्ञापन से बचने की जरूरत है. बैंक से फोन करने वाला व्यक्ति बैंकर के अलावे साइबर अपराधी भी हो सकता है. लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक होने की जरूरत है. ताकि साइबर अपराधियों का शिकार होने से बचा जा सके.

नवीन कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड.

एक्सएलआरआई के टाटा ऑडिटोरियम में 'साइबर अपराध और चुनौतियां' विषय पर कार्यशाला, वक्ताओं ने कहा

मोबाइल फोन पर डाटा शेयरिंग से बचना जरूरी

जमशेदपुर | वरीय संवाददाता

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर जिला विधिक प्राधिकार की ओर से शनिवार को एक्सएलआरआई टाटा ऑडिटोरियम में साइबर अपराध और इससे मिल रही चुनौतियों पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा कि जिस गति से साइबर क्राइम का दायरा बढ़ रहा है, वह खतरनाक और चिंताजनक है। इस अपराध पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सबकी है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। खासकर बैंक अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व बुद्धिजीवियों की भूमिका साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएगी।

न्यायाधीश मिश्रा ने कहा कि साइबर अपराध के फैलते जाल को काटने के लिए शहर से लेकर गांव-गांव के युवाओं को जागरूक करना होगा। अपने गोपनीय दस्तावेज के डाटा की जानकारी किसी भी सूरत में साझा न करें। साइबर अपराधी कई तरह से जानकारी लेने की कोशिश में जाल फेंकते हैं और जानकारी लेकर साइबर क्राइम करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अप्रेश सिंह ने कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए चुनौती बन चुका है। यह नया अपराध है, जिस पर सावधानी व जागरूकता से ही अंकुश लगेगा। यह अपराध जामताड़ा में काफी बढ़ चुका है। जब तक पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक इस अपराध पर रोक लगाना संभव नहीं होगा।

आईजी साहब बोलते रहे, पुलिसवाले सोते रहे

शनिवार को एक्सएलआरआई के टाटा ऑडिटोरियम में साइबर अपराध और चुनौतियां जैसे महत्वपूर्ण व सामयिक विषय पर कार्यशाला हुई। इसमें मंच पर न्यायाधीश, आईजी, डीसी, एसएसपी जैसी महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद रहीं (ऊपर)। इस सबसे बेपरवाह दर्शक दीर्घा में मौजूद कई पुलिसवाले सोते नजर आए (बाएं)।

इन बातों का हमेशा रखें ध्यान

- अपना बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड किसी को नहीं बताएं
- इंटरनेट बैंकिंग और ट्रांजेक्शन सार्वजनिक स्थल पर न करें
- साइबर कैफे, पार्क, मीटिंग, भीड़भाड़ वाले स्थान पर ट्रांजेक्शन से परहेज करें
- अपना एटीएम पिन कोड लिखकर न रखें और न ही किसी को ओटीपी बताएं
- किसी प्रकार के प्रलोभन वाले कॉल से बचें

गलत टिप्पणी करना भी साइबर अपराध : हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनंत विजय सिंह ने कहा कि बैंक से पैसा निकाल लेना ही साइबर अपराध नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। किसी भी एप से डाटा साझा करना, किस भी फोटो को दूसरे के फोटो के साथ मिलाकर सोशल साइट पर पोस्ट करना, बिना अनुमति फोटो अपलोड करना, गलत टिप्पणी करना भी साइबर अपराध के दायरे में आता है। इससे रोकथाम के लिए साइबर थाने खोले जा रहे हैं।

आईजी नवीन कुमार सिंह ने पांच पेचीदा साइबर अपराध की जानकारी दी, जिसमें विभिन्न शहरों से पैसे से निकासी की गई। इन मामलों की जांच में बहुत सारी दिक्कतें आईं, लेकिन आखिर में सफलता हासिल हुई। एसएसपी अनूप बिरथरे ने कहा कि हर ट्रांजेक्शन का मैसेज आने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्लोन से ठगी होने पर मैसेज नहीं आते हैं और धीरे-धीरे खाते से पैसे निकल जाते हैं। जब खाताधारक एटीएम से पैसे निकालता है, तब पता चलता है कि खाते से पैसे गायब हैं। कई बार पुलिस असहाय साबित होती है।

पहले सड़कों पर छेड़खानी होती है, अब इंटरनेट कॉल और सोशल साइटों पर हो रही है। मौके पर लोकायुक्त डीएन उपाध्याय, ज्यूडिसियल एकेडमी के अधिकारी गौतम कुमार चौधरी, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला सहित स्टेट बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ल सहित अन्य लोगों ने विचार व्यक्त किए।

आरबीआई से भी किया गया सवाल : आरबीआई के अधिकारी राजेश कुमार तिवारी से मंच पर बैठे अतिथियों ने नियम कानून और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के मसले पर सवाल जवाब किया। कारोबारियों ने भी बैंकिंग से संबंधित सवाल जवाब किया।

दैनिक भास्कर
जमशेदपुर, रविवार, 28 जुलाई, 2019 — DB स्टार

कार्यशाला में साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां-उनके समाधान पर चर्चा

बिना फोन-कंप्यूटर के जीवन नहीं चल सकता, बचाव के लिए जागरूकता ही एकमात्र उपाय:जस्टिस मिश्रा

सिटी रिपोर्टर • जमशेदपुर

झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं न्यायिक अकादमी झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को एक्सएलआरआई ऑडिटोरियम में साइबर क्राइम पर एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एच.सी मिश्रा, झारखंड हाईकोर्ट के जज अपरेश कुमार सिंह, झारखंड हाईकोर्ट के जज अनंत विजय सिंह, आईजी नवीन कुमार सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। कार्यशाला में साइबर क्राइम से जुड़े मुद्दे, चुनौतियां एवं उनके समाधानों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में एचसी मिश्रा ने कहा कि कोर्ट को साइबर क्राइम को लेकर संवेदनशील होना होगा। आज के युग में बिना स्मार्ट फोन व कंप्यूटर के जीवन नहीं चल सकता है। साइबर क्राइम से बचने का जागरुकता ही एक मात्र उपाय है। डाटा लीक के मामले में फेसबुक का भी नाम आ चुका है। साइबर क्रिमिनल काफी स्मार्ट हो चुके हैं। किसी भी साइट को सुरक्षित होने का दावा नहीं किया जा सकता है। अगर साइबर क्रिमिनल एटीएम सेंटर में प्रवेश कर गैजेट्स डाल रहे हैं तो इसके लिए बैंक को और जिम्मेदार होना होगा। क्राइम को रोकने के लिए जागरुकता फैलाने की बात कही। कार्यशाला में रांची हाई कोर्ट के जज अपरेश कुमार सिंह ने कहा- आज के युग में बच्चों के हाथ में स्मार्ट फोन है। पर वे इसके खतरे से अनजान हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक दिन की कार्यशाला से नहीं बल्कि मीडिया के माध्यम से लगातार जागरुकता फैलाने से इसपर रोक लगेगी।

एसएसपी ने गिनाई समस्याएं: कार्यशाला में एसएसपी अनूप बिरथरे ने कहा- जमशेदपुर में 2018 में बिष्टुपुर में साइबर थाना शुरू किया था। अब तक इस थाना में साइबर क्राइम से जुड़े 292 मामले आए हैं। कई मामलों का निष्पादन हुआ है जबकि कई मामलों का अनुसंधान जारी है। साइबर क्राइम के मामलों को सुलझाने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे एटीएम के सीसीटीवी फुजेट नहीं मिलती। फेक कॉल के नंबरों को ब्लॉक करने में काफी मुश्किल होती है। अवैध पैसों की निकासी का एसएमएस अलर्ट कई बार नहीं आता है। लोग जब एटीएम पैसे निकालने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके खाते से पैसों की निकासी हो गई है। जबकि पैसा निकासी का उनके पास कोई मैसेज नहीं आता है। ऐसे कई मामले साइबर थाना में आ चुके हैं।

2018 में शहर में साइबर थाना की स्थापना के बाद आए 292 मामले: एसएसपी

कार्यशाला में शामिल पुलिस जवान व अन्य।

दोपहर तीन बजे से लेकर रात नौ बजे तक चली कार्यशाला

कार्यशाला में गौतम कुमार चौधरी, उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट, ग्रामीण एसपी पियूष पांये, सिटी डीएसपी अनुदीप सिंह समेत कई मौजूद थे। कार्यशाला शुरू करने के पूर्व अतिथियों का स्वागत किया गया। दोपहर तीन बजे से शुरू हुई यह कार्यशाला रात के 9 बजे तक चली।

कार्यशाला में शामिल मुख्य अतिथि व अन्य।

साइबर क्राइम का बढ़ रहा दायरा नए तरीके इजाद कर रहे हैकर्स

एक्सएलआरआइ में लीगल अवेयरनेस कांफ्रेंस ऑन साइबर क्राइम का आयोजन

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : बदलते समय के साथ साइबर क्राइम का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। यह एक बड़ी समस्या है जिससे निजात पाने के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा ताकि साइबर क्राइम की समस्या से निजात पाई जा सके। वहीं पुलिस व न्यायिक प्रक्रिया को भी उस हिसाब से अपडेट करने की जरूरत है।

यह निचोड़ था शनिवार को जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट - एक्सएलआरआइ में आयोजित लीगल अवेयरनेस कांफ्रेंस ऑन साइबर क्राइम का। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आयोजित इस कांफ्रेंस में एक मंच पर उपस्थित थे झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्रा, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस अनंत विजय सिंह, जस्टिस डीएन उपाध्याय, पुलिस आइजी नवीन कुमार सिंह, जिले के एसएसपी अनूप बिरथरे व उपायुक्त रविशंकर शुक्ला। वहीं इस कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम के अलावा पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के न्यायिक पदाधिकारी, पुलिस अधिकारी व अधिवक्ता भी मौजूद रहे।

बड़े पैमाने पर चले डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम : जस्टिस अपरेश कुमार सिंह : न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि हमारा देश सर्वाधिक मोबाइल यूजर्स वाला देश है। ऐसे में जाहिर है साइबर क्राइम भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। वक्त की जरूरत यह है कि अधिक से अधिक डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम चलाए जाएं ताकि लोग सतर्क रहें। ओएलएक्स जैसे तमाम मोबाइल एप पर धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले दो-तीन साल से झारखंड पुलिस ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए कदम उठाए हैं।

आइपीएस, सीआरपीसी व इंफारमेशन टेक्नोलोजी एक्ट में जरूरत के हिसाब से प्रावधान किए जाने चाहिए। इन सबके अलावा देश में नेशनल साइबर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के गठन की जरूरत है।

एक्सएलआरआइ स्थित टाटा ऑडिटोरियम में साइबर क्राइम पर सेमिनार • जागरण

साइबर क्राइम पर आयोजित सेमिनार में उपस्थित पुलिस अधिकारी • जागरण

वर्चुअल वर्ल्ड यानी माया की दुनिया से बचें

जस्टिस अनंत विजय सिंह कांफ्रेंस में जस्टिस अनंत विजय सिंह ने कहा कि वर्चुअल वर्ल्ड यानी माया की दुनिया से बचकर रहने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर जारी निर्देश में सभी बैंकों को वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को इसका अनुपालन भी करना चाहिए। एक बार खाते से पैसा निकल जाने के बाद उसकी वापसी होनी मुश्किल होती है।

सावधानी ही सबसे बेहतर बचाव : जस्टिस एचसी मिश्रा

हाईकोर्ट के न्यायाधीश एचसी मिश्रा ने कहा कि साइबर क्राइम का दायरा काफी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सावधानी बरतना ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। असुरक्षित वेबसाइट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक साइबर क्राइम के मामलों के निस्तारण की बात है तो पीड़ित, सेवा प्रदाता व अन्य पक्षकारों के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराए जाने की जरूरत है। क्राइम के स्थान, आरोपित व जांच के स्थान अलग अलग होने से दिक्कतें होती हैं।

जमशेदपुर में 2010 में पहला साइबर केस, 2018 में 272 पहुंचा आंकड़ा

जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप बिरथरे ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तस्वीर रखी। उन्होंने बताया कि जिले में पहले साइबर क्राइम का मामला 2010 में दर्ज किया गया था। 2018 में साइबर क्राइम के 272 मामले दर्ज किए गए। सर्वाधिक 163 मामले एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर राशि निकाल लिए जाने के रहे। वहीं 57 मामले सोशल मीडिया से फ्रॉड करने के रहे। पहला अपराध 2010 में हुआ था।

पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को सघन प्रशिक्षण मिले : उपाध्याय : हाईकोर्ट के जस्टिस डीएन उपाध्याय का कहना था कि साइबर क्राइम हो जाने के बाद उसकी तफ्तीश व सुनवाई में कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने एक केस का उदाहरण देते हुए कहा कि संबंधित मामले के जांच अधिकारी साइबर क्राइम के साक्ष्य जुटाने में असमर्थ थे। पुलिस व न्यायिक अधिकारियों को इस संबंध में सघन प्रशिक्षण दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने स्टेट लेवल साइबर सेल के गठन का सुझाव भी दिया।

सक्रियता व आधारभूत संरचना का करना होगा विकास : नवीन सिंह : राज्य के पुलिस महानिरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने कहा कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए कइ प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने चुनौतियों का जिक्र करते हुए चार विंदुओं पर फोकस करने की आवश्यकता पर बल दिया। इनमें प्रो एक्टिव एंड रिएक्टिव, को-ऑपरेशन एंड डिटरमिनेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस व लीगल रेगुलरिटी शामिल थे।